न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री आलोक जैन (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ
वादपत्र संख्या :– 11/2014

दायर तारीख 06.03.2014

अनवान

01. सुन्दर पिता गणेशलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. राधेश्याम पिता गणेशलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. बालुलाल पिता हरला जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. सायरी पत्नि हरला जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. मोतिया पिता गणेश जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. कल्याण पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. शंभु पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
06. रामजस पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
07. शंकर पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
08. कमली पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
09. सजना पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
10. प्यारी पिता हजारी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
11. बरदा पिता श्रीकिशन जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी जलिन्द्री तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
12. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........................विपक्षीगण

उपस्थित :–	श्री दिनेश तम्बोली अधिवक्ता	प्रार्थीगण
	श्री घनश्याम धाकड अधिवक्ता	विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 13.04.2017

प्रकरण मे सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 6.03.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम·1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनकी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का जलिन्द्री में स्थित आराजी नं0 125 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वां, आराजी नं0 129 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वां, आराजी नं0 259 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वां, आराजी नं0 263 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वां आराजी नं0 264 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वां, आराजी नं0 380/117 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वां कुल किता 6 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वां भूमि पर पेदल, सजबेल, टेक्टर से आने जाने का रास्ता कदीमी समय से ग्राम अमरापुरा से निकलकर महुआ से बून्दी इाम रास्ता से होता हुआ विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नं0 96, 98 से होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी में उत्तर से पश्चिम की ओर 15 फीट चौडा रास्ता स्थित होकर उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण बरसो से करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर से प्रार्थीगणा के खेत में आने जाने हेतु 15 मीट चौडा रास्ता है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणो की भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर आराजी नं0 96, 98, में विपक्षगणो द्वारा उक्त रास्ते नाजयज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो प्रार्थीगण करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते मांग करते हुये क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन विपक्षीगण को तलब किया गया। न्यायालय द्वारा जारी समन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

नियत पेशी दिनांक को विपक्षीगण संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम धाकड ने अधिकार पत्र पेश किया गया। जवाब पेश नही किया एवं अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा साक्ष्य मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये।

मामले में तहसीलदार बिजौलियां से मौका स्थिति की रिपोर्ट रास्ते बाबत् तलब की गई। तहसीलदार बिजौलियां के अपने पत्रांक/2015/477 से रिपोर्ट प्रस्तुत की पटवार हल्का जलिन्दी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अमरपुरा 125, 129, 259, 263, 264, 380/117 में जाने बाबत्। रास्ते का मौका देखा। मौका अनुसार आराजी नं0 259, 263, 2264 में वादीगणो के अन्य रास्ते का विकल्प है। किन्तु आराजी नं0 125, 129, 380/117 में कोई रेकार्डेड रास्ता नही है। वर्तमान आराजी में जाने के लिए वादीगण ग्राम अमरपुरा की अन्य कृषको की खातेदारी आराजी नं0 98 रकबा 4–03 बीघा मे से 1 बिस्वां भूमि आराजी नं0 96 रकबा 4–13 मे से 4 बिस्वां भूमि तथा आराजी नं0 95 रकबा 1–06 बीघा मे से 4 बिस्वां भूमि कुल 9 बिस्वां भूमि मे से होकर वादीगणो अपने कुएं अन्य खातदारी भूमि में पहुचते है मौका व रेकार्ड कें अनुसार आराजी नं0 96, 98 बरदा पिता श्रीकिशन बलाई सा0 जलिन्दी तथा आराजी 95, 96 बाबुलाल सायरी, पिता हरला वैगरह के नाम ... र्ड है। प्रस्तावित मौका अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को आगे की आराजी नं0 9... मौके पर उपस्थित वादीगण एवं उक्त प्रचलित रा...

प्रस्तावित रास्ते की 0–09 बीघा भूमि की डीएलसी दर 45210/– प्रति बीघा की दर से 20348/– भूमि की मालियत होती है और नियमानुसार डीएलसी की मालियत से दुगुनी राशि 40698/– होती है। रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस पर मनन किया अवलोकन से प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम अमरपुरा की आराजी नं0 125, 129, 259, 263, 264, 380/117 पर पहुचने के लिये आराजी नं0 आराजी नं0 98 रकबा 4–03 बीघा मे से 1 बिस्वां, आराजी नं0 96 रकबा 4–13 मे से 4 बिस्वां तथा आराजी नं0 95 रकबा 1–06 बीघा मे से 4 बिस्वां भूमि कुल 9 बिस्वां मे रास्ता प्रार्थीगण को मिलने पर व सुखाधिकार से अपनी आराजीयात पर पहुच सकेगा। तहसीलदार बिजौलियां ने भी नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शे में इन्ही तथ्यो को अंकित किया है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते बन्द कर रखा है। नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। ग्राम अमरपुरा की डीएलसी दर 45210/– प्रति बीघा की दर से 20348/– भूमि की मालियत होती है और नियमानुसार डीएलसी की मालियत से दुगुनी राशि 40698/– होती है। जो प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणो को भुगतान करने के पश्चात अथवा विपक्षीगणो द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूमि जमा में जमा करवाने पर ग्राम अमरपुरा की आराजी नं0 95, 96, 98 मे से 09 बिस्वां की उत्तर पश्चिमी मेड पर भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडिया आदि) में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(आलोक जैन)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा